

पर्चा डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस

प्रकरण सं० 113/18

अनवान :

1. राजेश कुमार पुत्र औमप्रकाश जाति जाट नेण निवासी बिराण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

—वादी

बनाम

1. औमप्रकाश पुत्र दुलाराम उर्फ दलसुख जाति जाट निवासी बिराण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. रघुवीर पुत्र औमप्रकाश जाति जाट निवासी बिराण तहसील भादरा।
3. भारतीय स्टेट बैंक शाखा एडीबी छानीबड़ी जरिये शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा एडीबी छानीबड़ी।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक

आज यह वाद मुझ श्री राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा एवं बैच के सदस्यों के समक्ष न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प बिराण में वकीलवादी श्री संदीप गोदारा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वादवादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है व घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 6 AMS के खाता सं० 7/6 की 0.759 है० नहरी, चक 4 AMS के खाता संख्या 7/5 की कुल 4.807 है० में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 126-2/3 हिस्सा चक 4 AMS के खाता संख्या 8/7 की कुल 2.530 है० नहरी मय खाला में प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश का नाम कलमजन कर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को बहिब खातेदारी दर्ज रिकार्ड की जावे। प्रतिवादी सं. 1 ने वाद भूमि में अपना हक त्याग कर दिया है अतः हक त्याग किए गए हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी वसूल कर तथा यदि भूमि बैंक के रहन हो तो रहन फक के पश्चात् इसी अनुसार रिकार्ड दरुस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना-अपना रहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05 जून 2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(राजकुमार कस्वा)

R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़